



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05082022-237964
CG-DL-E-05082022-237964

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3539]
No. 3539]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 5, 2022/श्रावण 14, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 5, 2022/SHRAVANA 14, 1944

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2022

का.आ. 3706(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची की मद 32 के अधीन आच्छादित बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, मैसूर, कर्नाटक की सेवाओं को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया जाना चाहिए;

और, केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 780(अ), तारीख 17 फरवरी, 2022 द्वारा, तारीख 19 फरवरी, 2022 से छह मास की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उक्त उद्योग को अंतिम बार लोक उपयोगी सेवा घोषित किया;

और, केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में छह मास की अवधि के लिए उक्त उद्योग को लोकोपयोगी सेवा प्रास्थिति का विस्तार किया जाना अपेक्षित है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उक्त उद्योग को तारीख 19 अगस्त, 2022 से छह मास की अवधि के लिए लोकोपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/1/2016-आई.आर.(पी.एल.)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th August, 2022

S.O. 3706(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest so requires that the services in the Bank Note Paper Mill India Private Limited, Mysore, Karnataka which is covered under item 32 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a public utility service for the purposes of the said Act;

And whereas the Central Government has lastly declared the said industry to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 19th February, 2022, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, number S.O. 780(E), dated 17th February, 2022;

And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industry for a period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the services of the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 19th August, 2022.

[F. No. S-11017/1/2016-IR (PL)]

KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.